पंचायती राज विभाग की नीति के संबंध में संक्षिप्त विवरण

प्रमुख बिन्दु निम्नलिखित रूप से हैंः–

- दृष्टिपत्र–73वां संविधान संशोधन के अनुरूप ग्रामीण स्थानीय निकायों को मूलभूत स्तर पर लोकतंत्र की प्रथम इकाई के रूप में विकसित करना।
- मिशन–भारत के संविधान के अनुरूप पंचायतों को अधिकार, कार्य, कर्मी एवं धन का हस्तान्तरण करते हुए उनका सुदृढीकरण सुनिश्चित करना।
- उद्‌देश्य– पंचायतों को इस प्रकार अधिकार सम्पन्न करना कि वह अपने करापोपण, उपनियमों का निर्माण बजट, स्वच्छता के स्तर में सुधार एवं सामुदायिक लाभ की विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन कर सके।
- ढांचा– प्रदेश में निम्नलिखित रूप से त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित हैः–
- जिला पंचायत
- क्षेत्र पंचायत तथा
- ग्राम पंचायत
- उपर्युक्त रूप से उल्लिखित पंचायतों के कार्यो को देखने हेतु राज्य, मण्डल, जनपद, विकास खण्ड तथा ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यालय एवं कर्मी नियुक्त है।
- पंचायती राज विभाग राज्य निर्वाचन आयोग का भी प्रशासनिक विभाग है।
- पंचायती राज विभाग/संस्थाएं निम्नलिखित दो अधिनियमों से शासित हैः–
- उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम–1947
- उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम–1961
- पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा वर्ष 1995 से किया जा रहा है।
- अन्तिम चुनाव वर्ष 2010 में सम्पन्न हुए।
- पंचायतों को धनराशि का संक्रमण राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर किया जाता है।
- प्रथम राज्य वित्त आयोग 1994 में गठित हुआ। सम्प्रति चतुर्थ राज्य वित्त आयोग दिसम्बर, 2011 से गठित है।
- ग्राम पंचायत स्तर पर सबसे अधिक प्रभावी संस्था ग्राम सभा है। जिसमें सभी योजनाएं एवं बजट रखकर अनुमोदित कराया जाता है।
- इसी प्रकार क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत की बैठकों में भी उनसे संबंधित योजनाओं एवं बजट को अनुमोदित कराया जाता है।
- पंचायती राज विभाग की प्रमुख योजनाओं की नीतियां निम्नलिखित रूप से बेबसाइट पर उल्लिखित हैः–

  - **निर्मल भारत अभियान–**
    - वर्ष 2012 से संचालित है।
    - वर्ष 2012 तक सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के रूप में जाना जाता था।
    - लाभार्थियों का क्षेत्र बढ़ाकर गरीबी की रेखा के अतिरिक्त अन्य निर्धन/अल्पआय भोगी परिवारों को भी शामिल किया गया है।
    - व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय, स्कूलों एवं आंगनबाड़ियों में शौचालय, तथा ठोस एवं द्रव अवशिष्ट प्रबन्धन जैसे कार्यो को शामिल किया गया है।
    - उद्‌देश्य– वर्ष 2022 तक प्रदेश को निर्मल प्रदेश घोषित करना।

  - **राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान–**
    - पंचायती राज संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण
    - राज्य सरकार द्वारा पूर्व में कई कदम उठाये गये है।

- इस योजना को एक सुअवसर मानते हुए पंचायतों को सुदृढीकरण की नीति अपनायी गयी है जिसके तहत पंचायत भवनों का निर्माण, ग्राम पंचायतों के क्लस्टर (16,432) पर एक–एक पंचायत सहायक तथा प्रत्येक कर्मी को एक–एक लैपटाप देने की योजना है।
- योजना केन्द्र सरकार द्वारा 75 प्रतिशत तथा राज्य सरकार द्वारा 25 प्रतिशत वित्त पोषित है।

❖ पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि(बी0आर0जी0एफ0)–

- स्थानीय अवस्थापना एवं अन्य विकास योजनाओं में क्रिटिकल गैप के कार्यो एवं योजनाओं को लेना तथा पंचायती राज एवं नगर निकायों में संस्थागत सुदृढ़ीकरण, योजना का प्रमुख उद्देश्य है।
- प्रदेश के 35 जनपदों में क्रियान्वित की जा रही है।
- योजनाओं का चयन संबंधित पंचायतों एवं नगर निकायों द्वारा किया जाता है। जिन्हें अन्तिम रूप से जिला योजना समिति द्वारा पारित किया जाता है।

❖ राज्य वित्त आयोग–

- राज्य की कुल शुद्ध कर आय को पंचायतों एवं नगर निकायों में वितरण की संस्तुति एवं फार्मूला एवं इनके आय के साधन बढ़ाये जाने हेतु संस्तुति किया जाना प्रमुख उद्देश्य है।
- सम्प्रति नागर निकायों को कुल विभाज्य पूल का 60 प्रतिशत तथा पंचायती राज संस्थाओं को 40 प्रतिशत दिया जा रहा है।
- पंचायती राज संस्थाओं के अंश से 20 प्रतिशत जिला पंचायत, 10 प्रतिशत क्षेत्र पंचायत तथा 70 प्रतिशत ग्राम पंचायतों को दिया जाता है।
- धनराशि का उपभोग पंचायतों की परिसम्मपत्तियों के रखरखाव पर।

❖ केन्द्रीय वित्त आयोग–

- वर्ष 1996–97 से धनराशि दी जा रही है।
- वर्तमान में 13वां वित्त आयोग की संस्तुति पर पंचायतों को 20 प्रतिशत जिला पंचायत, 10 प्रतिशत क्षेत्र पंचायत तथा 70 प्रतिशत ग्राम पंचायतों को धनराशि का वितरण किया जाता है।
- सभी फन्डस पंचायत स्तर पर अनटाइड है। तथापि धनराशि का उपभोग पंचायतों की परिसम्मपत्तियों के रखरखाव पर।

❖ अन्त्येष्टि स्थलों का विकास–

- राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित महती योजना वर्ष 2014–15 से प्रारम्भ।
- योजना अन्तर्गत पूर्व से प्रयोग में आ रहे अन्त्येष्टि स्थलों को विकास।
- शवदाह गृह हेतु प्लेटफार्म, शान्ति स्थल, लकड़ी का टाल तथा अन्य नागरिक सुविधाएं जैसे पेयजल एवं शौचालय।